कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता नागौर

Email ID - nagaur.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 2023/3103 दिनांक : 21.6.2023

विज्ञप्ति संख्या : 02/2023

श्रीमान् आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 8763–95 जयपुर, दिनांक 19.6.2023 की पालना में राज्य सरकार द्वारा चलाऐ जा रहे **"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023"** अन्तर्गत नागौर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय के रिक्त पदों हेतु ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र.स.	कार्यालय का नाम, पता, ईमेल	पंचायत समिति नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, हवाई पटटी, गैस गोदाम के पास, नागौर(राजस्थान) 341001 Email: nagaur.we@rajasthan.gov.in	डेगाना	चुवा, सांजू
2		डीडवाना	रामसाबास, कोलिया
3		खींवसर	चावण्डिया
4		नांवा	सौलाया
5		भैरूद्धा	भैरूद्धा

1. आवेदन फार्म मय संलग्न दस्तावेज दिनांक 21.07.2023 सांय 05 बजे तक कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता नागौर में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा जमा करवायें जा सकेंगे।
2. विज्ञप्ति के संबंध में ग्राम साथिन रिक्त पदों तथा पात्रता इत्यादि विस्तृत जानकारी इस कार्यालय अथवा विभागिय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(जितेन्द्र शर्मा)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता, नागौर

क्रमांकः–2023/3104-26 दिनांकः– 21.6.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, नागौर।
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
4. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग नागौर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डेगाना/डिडबाना/खींवसर/नांवा/भैरूद्धा, जिला नागौर।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, डेगाना/डिड़वाना/खींवसर/नांवा/भैरूद्धा जिला नागौर।
7. सुपरवाईजर म.अ.(नियमित/अति.प्र.) डेगाना/डिडवाना/खींवसर/नांवा/भैरूद्धा जिला नागौर को भेजकर लेख है कि संबंधित ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति कार्यलय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा करना सुनिश्चित करें एवं पालना रिर्पोट इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
8. सरंपच/सचिव ग्राम पंचायत (उपरोक्तानुसार) .... को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर विज्ञप्ति अपलोड करवाने बाबत।
10. नोटिस बोर्ड जिला कलक्टर कार्यालय, जिला परिषद, कार्यालय हाजा, संबंधित ब्लॉक/पचांयत समिति कार्यालय में चस्पा हेतु।
11. कार्यालय साथिन पत्रावली।

उपनिदेशक,
महिला अधिकारिता, नागौर

साथिन की भर्ती से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश

1. पंचायत समिति वार साथिन के रिक्त पदो की स्थिति :–

क्र. स.	कार्यालय का नाम, पता, ईमेल	पंचायत समिति नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
1	कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, हवाई पटटी, गैस गोदाम के पास, नागौर (राजस्थान) 341001 Email: nagaur.we@rajasthan.gov.in	डेगाना	चुवा, सांजू	–
2		डीडवाना	रामसाबास, कोलिया	अल्पसंख्यक(रामसाबास)
3		खींवसर	चावण्डिया	–
4		नांवा	सौलाया	–
5		भैरूद्धा	भैरूद्धा	–

2. उक्त विज्ञप्ति श्रीमान् आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 8763–95 जयपुर, दिनांक 19.6.2023 की अनुपालना में एवं समेकित बाल विकास विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 के प्रावधानुसार मानदेय सेवा साथिन पद में चयन प्रकिया की जावेगी।

(A) चयन हेतु वांछित पात्रता :–

1. **स्थानीय निवासी होना** :– आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत की मूल निवासी होनी चाहिए।(मूल निवासी होने के आघार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/ आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरंपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजो की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाये) विधवा/तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचायल होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
3. **वैवाहिक स्थिति** :– आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
4. **शैक्षणिक योग्यता** :– साथिन पद हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5. **आयु** :– आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन(गति आधारित प्रमस्तिक घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक की होगी।(विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
   - विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
   - परित्यक्ता व तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि) से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।
6. **चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड** :– साथिन चयन हेतु उनके मूल्यांकन मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार होगा, जिसमें अलग–अलग बिन्दुओं के अलग–अलग अंकभार निर्धारित होंगे।
7. **श्रेणीवार आरक्षण** :–
   - जिन ग्राम पंचायत में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, उस ग्राम पंचायत में उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्य किया जाऐगा।
   - सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी–लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी–लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी–लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिय जाये, ऐसा अधिकतम

3 वर्ष तक किया जा सकता है) अर्थात आवेदक महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर का प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जायेगे व इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

(B) चयन प्राथमिकता :– चयन की प्राथमिकता परिशिष्ट "ब" पर दिए गय मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों व उनके अंक भार के अनुसार देय होगी।

(C) आवेदन की अंतिम तिथि :–

- आवेदन फार्म मय संलग्न दस्तावेज कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग नागौर में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा दिनांक 21.07.2023 सायः 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे।
- पता– कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, हवाईपट्टी, बीकानेर रोड, नागौर(राजस्थान) 341001, ई–मेल आई डी– nagaur.we@rajasthan.gov.in

(D) अन्य दिशा–निर्देश :–

1. उक्त मानदेयकर्मी साथिन पद पूर्णतया स्वैच्छिक है तथा विभागीय परिपत्र की शर्तो व निर्देशों के अध्याधीन है।
2. आवेदक फार्म परिशिष्ट "अ" उपनिदेशक कार्यालय या विभागिय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।
3. अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन परिशिष्ट "अ" प्रपत्र (3 प्रतियों) मय समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ में इस कार्यालय में कार्यदिवस में व्यक्तिशः/रजि. डाक दिनांक 21.07.2023 को सांय 5 बजे तक जमा करा सकेगी।
4. विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अथवा विज्ञप्ति के दौरान किसी ग्राम पंचायत में साथिन मानदेय पद की रिक्ती के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद/संशय/स्पष्टीकरण की स्थिति में उपनिदेशक, महिला अधिकारिता नागौर का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।
5. इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता नागौर से प्राप्त की जा सकती है।